सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2020/00075

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 21/2020

1. सर्वजीत कौर पुत्री श्री कृष्ण सिंह पत्नी दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी दादूवाल तहसील गढशंकर जिला होशियारपुर (पंजाब) जरिये मु.आ. सुखवीर सिंह पुत्र श्री गुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 24 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान–जरिये तहसीलदार राजस्व, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. हरभजन सिंह पुत्र उधम सिंह जाति जटसिख निवासी चक 24 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश 16.06.2020 तहसीलदार रायसिंहनगर पत्रावली संख्या 26/2019 अनवानी प्रार्थना पत्र हरभजन सिंह बनाम कृष्णसिंह वसीयत के आधार पर इंतकाल किया गया, को निरस्त करने हेतु

उपस्थित :

1. श्री तेजा सिंह संधू, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री सुरेश कुमार अरोड़ा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

::आदेश :: दिनांक :–12.08.2021

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून, वाकेयात, व इन्साफ न होने के कारण काबिले निरस्ती है। अधीनस्थ अदालत में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा एक आवेदन पत्र पेश इस आश्य का किया कि अपीलांट के पिता द्वारा उसके हक में 09.08.1990 को वसीयत चक 24 पी.एस. मुरब्बा नम्बर 31, पत्थर नम्बर 205/283 के 0.05 हैक्टर की वसीयत करवायी थी जो नोटेरी पब्लिक द्वारा दिनांक 09.08.1990 को तस्दीक हुई है। वसीयतकर्ता दिनांक 30.05.1992 को फौत हो चुका है। वसीयत के आधार पर इंतकाल तस्दीक किया जावे। दिनांक 01.07.2019 को आवेदन पत्र दिया जिसमें नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट खुद दिनांक 10.07.2019 को अनुपस्थित और अपीलांट की ओर से मुख्तारेआम उपस्थित हुआ। प्रार्थना पत्र खारिज करने के लिए निवेदन किया। दिनांक 18.07.2019 को फिर आवेदनकर्ता अनुपस्थित, 25.07.2019 को फिर अनुपस्थित , 28.08.2019 को फिर अनुपस्थित, 30.09.2019 को फिर अनुपस्थित व 22.10.2019 अनुपस्थित, 04.11.2019 को अनुपस्थित, 28.02.2020 को फिर अनुपस्थित, 13.03.2020 को प्रार्थी उपस्थित हुआ। वसीयत में जो गवाह थे उनकी मृत्यु हो चुकी है और दिनांक 03.04.2020 को उपस्थित हो उसके बाद 02.06.2020 को अनुपस्थित और 16.06.2020 को बिना अप्रार्थी के एतराज को डिसाईड किये, इन्तकाल तस्दीक करने का आदेश दिया गया। दिनांक 13.03.2020 के बाद कोविड–19 का संक्रमण होने के कारण राजस्व न्यायालय में कार्य स्थगित कर दिये गये थे जो राजस्व मण्डल द्वारा पहले 14.06.2020 तक थे अब 30.06.2020 तक कार्य स्थगित किया गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रकिया अपनाये, कार्य स्थगित होते हए भी निर्णय कर दिया है जो विधि विरूद्व होने के कारण काबिले निरस्ती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा जो आवेदन पत्र 01.07.2019 को दिया उसकी वसीयत 1990 में की गयी थी। वर्ष 1992 में वसीयतकर्ता की मृत्यु हो गयी और 28 वर्ष बाद उस वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के लिए निवेदन किया। अपीलांट का पिता यहां रहता नहीं था। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 परिवार के सदस्य थे, जमीन शहर के

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

पास है, ऑनरोड़ है और 5 बिस्वा की वसीयत फर्जी बनाकर 28 वर्ष बाद वसीयत के आधार पर इंतकाल करने के लिए निवेदन किया और वह भी वसीयत रजिस्टर्ड नहीं थी। रजि0 वसीयत नहीं हो तो उपखण्ड अधिकारी से वसीयत के बारे में घोषण करवानी मेन्डेटरी है। नोटेरी पब्लिक द्वारा तस्दीक वसीयत से इंतकाल नहीं खोला जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स 132 से लेकर 134 की विधिक प्रकिया की पालना नहीं की है। कृष्ण सिंह द्वारा कोई वसीयत नहीं करवायी गयी। कृष्ण सिंह पंजाबी में इस प्रकार से दस्तखत नही करता था यह दस्तखत रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा फर्जी किये गये है जो तथाकथित वसीयत बनायी है वह नल एण्ड वाईड है वह अपीलांट के हितों पर बेअसर है। अपीलांट कृष्ण सिंह की बतौर वारिस पुत्री के हक से अपील कर रही है जो एक प्रभावित पक्षकार है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 16.06.2020 निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून, वाकेयात, व इन्साफ न होने के कारण काबिले निरस्ती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा एक आवेदन पत्र पेश किया कि अपीलांट के पिता द्वारा उसके हक में 09.08.1990 को चक 24 पी.एस. मुरब्बा नम्बर 31, पत्थर नम्बर 205/283 के 0.05 हैक्टर की वसीयत करवायी थी जो नोटेरी पब्लिक द्वारा दिनांक 09.08.1990 को तस्दीक हुई है। वसीयतकर्ता दिनांक 30.05.1992 को फौत हो चुका है। वसीयत के आधार पर इंतकाल तस्दीक किया जावे। वसीयत में जो गवाह थे उनकी मृत्यु हो चुकी है । बिना अप्रार्थी के एतराज को डिसाईड किये, इन्तकाल तस्दीक करने का आदेश दिया गया। दिनांक 13.03.2020 के बाद कोविड–19 का संक्रमण होने के कारण राजस्व न्यायालय में दिनांक 30.06.2020 तक कार्य स्थगित किया हुआ था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रकिया अपनाये, कार्य स्थगित होते हए भी निर्णय कर दिया है जो विधि विरूद्व होने के कारण काबिले निरस्ती है। अपीलांट का पिता यहां रहता नहीं था। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 परिवार के सदस्य थे, जमीन शहर के पास ऑनरोड़ है और 5 बिस्वा की वसीयत फर्जी बनाकर 28 वर्ष बाद वसीयत के आधार पर इंतकाल करने के लिए निवेदन किया , वह भी वसीयत रजिस्टर्ड नहीं थी। रजि0 वसीयत नहीं हो तो उपखण्ड अधिकारी से वसीयत के बारे में घोषण करवानी मेन्डेटरी है। नोटेरी पब्लिक द्वारा तस्दीक वसीयत से इंतकाल नहीं खोला जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स 132 से लेकर 134 की विधिक प्रकिया की पालना नहीं की है। कृष्ण सिंह द्वारा कोई वसीयत नहीं करवायी गयी। कृष्ण सिंह पंजाबी में इस प्रकार से दस्तखत नही करता था यह दस्तखत रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा फर्जी किये गये है जो तथाकथित वसीयत बनायी है वह नल एण्ड वाईड है जो अपीलांट के हितों पर बेअसर है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 16.06.2020 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 पूर्व में किला नम्बर 01 पर अपनी कुटिया बनाकर बैठा हुआ था। उक्त जगह अपीलांट के पिता के कहने पर खाली करने पर फिर अपीलांट के पिता द्वारा चक 24 पी.एस. मुरब्बा नम्बर 31, पत्थर नम्बर 205/283 के 0.05 हैक्टर की वसीयत करवायी थी। वसीयत का इन्तकाल 29 वर्ष बाद तस्दीक करवाया गया है जबकि इन्तकाल कभी भी तस्दीक करवाया जा सकता है। जहां तक अपीलांट का यह कहना कि वसीयत रजि0 नहीं थी। वसीयत रजि0 होनी जरूरी नहीं है । वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत करते वक्त शपथ पत्र भी लिखकर दिया था इसलिए वसीयत में किसी प्रकार की कोई कानूनी कमी नहीं है। वसीयत कर्ता वसीयत दिवार पर लिखने पर भी मान्य है। वसीयत के आधार पर पारित इन्तकाल के दिन कोई लॉकडाउन नहीं था। अपीलांट द्वारा उक्त अपील मुझ प्रार्थी को अनावश्यक परेशान करने की नियत से की गई है। वसीयत अगर फर्जी है तो इनके सीविल कोर्ट में वाद पेश करना

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

चाहिए था। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.06.2020 विधिसम्मत् है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा निम्न नजीरे पेश की :–

1. डीएनजे (एस.सी.) 2020 पेज– 420 से 463
2. डीएनजे (एस.सी.) 2011 पेज– 10581 से 1067
3. आर.आर.डी 14.01.2006 पेज– 14 से 23

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर दिनांक 16.06.2020 को आदेश पारित करने से पूर्व वसीयतकर्ता के वारिसों के नाम दैनिक भास्कर अखबार में नोटिस साया करवाया जाकर एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर आदेश पारित किया गया है। अपीलांट का यह कथन कि मेरे पिता कृष्ण सिंह द्वारा कोई वसीयत नहीं करवायी गयी। कृष्ण सिंह पंजाबी में इस प्रकार से हस्ताक्षर नही करता था। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा हस्ताक्षर फर्जी किये गये है। वसीयत फर्जी है या सही के सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा कहीं चैलेंज नहीं किया गया है। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनरगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.06.2020 वसीयत के आधार पर राजस्व रिर्काड में अमलदरामद का जो आदेश पारित किया गया वो विधि सम्मत् है। जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता इंगित नहीं होती हैं। लिहाजा इसको यथावत रखा जाता है। अपीलार्थीया की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लोटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(भवानी सिंह पंवार)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति